

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA**

NOTIFICATION

No.HPERC/Secy/610/AS/MST/2008

Shimla: 08th, September, 2008.

The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-regulation (9) of regulation 3 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for the Establishment of a Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, hereby makes the following Order to determine the salary and allowances of the Nominated Independent Member of the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers:-

ORDER

1 **Short title.**— This Order may be called Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary and Allowances of the Nominated Independent Member of the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Order, 2008.

2 **Pay and allowance.**— The nominated Independent Member of the Forum shall be paid a consolidated amount of Rs.20,000/- (rupees twenty thousand only) per month towards remuneration. In addition, for official journeys outside the headquarters of the Forum; he will be entitled to TA/DA as admissible to Grade-1 Officer of the Licensee. The expenditure on this account will be borne by the licensee.

By order of the Commission.

-Sd-
Secretary

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

सं० [हि०प्र०वि०वि०आ०/६१०-](#) /सचिव/ए०एस०/एम०एस०टी०/२००८- शिमला : ०८ सितम्बर, २००८

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण फोरम (मंच) की स्थापना मार्गदर्शिका) विनियम, २००३ की धारा ३ की उप-धारा (९) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण फोरम (मंच) के नामित स्वतन्त्र सदस्य के वेतन एवं भत्ते का अवधारण करने के लिए, निम्नलिखित आदेश बनाता है:-

आदेश

- संक्षिप्त शीर्षक.**— इस आदेश का नाम, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण फोरम (मंच) के नामित स्वतन्त्र सदस्य के वेतन एवं भत्ते) आदेश, २००८ है।
- वेतन तथा भत्ते.**— फोरम (मंच) के नामित स्वतन्त्र सदस्य को समेकित मासिक पारिश्रमिक के रूप में कुल २०,०००/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) संदत्त होंगे। इसके अतिरिक्त, फोरम (मंच) के मुख्यालय से बाहर शासकीय काम के लिए यात्रा के लिये वह, अनुज्ञापतिधारी के प्रथम श्रेणी अधिकारी के लिए अनुज्ञेय यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, के लिए हकदार होगा। इस कारण आने वाले व्यय का अनुज्ञापतिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार

सचिव